

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

आदेश

श्री प्रमोद कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला खनन कार्यालय, वैशाली को दिनांक 25.03.2026 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के निगरानी धावा दल द्वारा ₹50,000/- घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने एवं अभिरक्षा में निरूद्ध होने के कारण उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (2)(क) के तहत गिरफ्तार होने की तिथि 25.03.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के अन्तर्गत देय होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-प्र0-II-अरा0(आ0)-10/2026-...../एम0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-प्र0-II-अरा0(आ0)-10/2026-...../एम0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-प्र0-II-अरा0(आ0)-10/2026-...../एम0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-उप निदेशक, तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-प्र0-II-अरा0(आ0)-10/2026-...../एम0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्री प्रमोद कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला खनन कार्यालय, वैशाली द्वारा-खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से आदेश की प्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-प्र0-II-अरा0(आ0)-10/2026-...../एम0, पटना, दिनांक 22.8.2026

प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अराजपत्रित स्थापना (क्षेत्रीय) शाखा/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव